

EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 21ST MAY, 2021

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 21 मई, 2021

संख्या 13/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
(2) ये नियम 27 अप्रैल, 2021 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 26 में, उपनियम (1) में, तृतीय परंतुक में,—
 - अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 - निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 27 अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021 तक की अवधि के दौरान धारा 39 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को तथा धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किये जाने वाले जावक प्रदायों के ब्योरे को इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है।”।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 21ST MAY, 2021
HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 21st May, 2021

No.13/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall be deemed to have come into force from 27th day of April, 2021.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 26, in sub-rule (1), in the third proviso,-

(i) for the sign “;” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

“Provided further that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (Central Act, 18 of 2013) shall, during the period from the 27th day of April, 2021 to the 31st day of May, 2021, also be allowed to furnish the return under section 39 in **FORM GSTR-3B** and the details of outward supplies under section 37 in **FORM GSTR-1** or using invoice furnishing facility, verified through electronic verification code (EVC).”.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.